अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

भगवान बनाम घनश्याम व अन्य ।

आश्विनल्ली/रिआ0 5
9/11/22

किस्म मुकदमा–225 राज0काश्त0अधिनियम
प्रकरण संख्या 303/2022 (नसीराबाद)

	श्री मंगलाराम चौधरी एडवोकेट	
12.10.2022	भगवान बनाम घनश्याम वगैरह यह अपील श्री मंगला राम चौधरी एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी,नसीराबाद के द्वारा प्रकरण संख्या 13/2020 में आदेश दिनांक 21.09.2022 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया है। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 09.11.2022 को पेश हो।	
09.11.2022	पत्रावली वास्ते सुनवाई स्थगन प्रार्थना पत्र पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस स्थगन प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज.काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया, जिसको दिनांक 24.05.2022 को अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए रास्ता प्रदान करने का आदेश पारित किया गया के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष एक आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 01 घनश्याम दत्तक पुत्र पॉचू लाल को कभी भी व्यक्तिगत रूप से कोई नोटिस तामील नही हुआ, चुंकि प्रकरण दिनांक 17.09.2020 को दर्ज किया गया तत्पश्चात दिनांक 22.04.2022 तक प्रार्थीगण को नोटिस तामील नही हुए एवं नोअिस की पुश्त पर आई रिपोर्ट के अुनसार जगदीश अंकित कर उसके नीचे कोष्ठक में घनश्यामक` नोटिस की पुश्त पर कोष्टक में भाई अंकित कर दिया गया एवं श्रीमती मंजू के नोटिस पुश्त पर कोष्ठम मे काका अंकित कर दिया गया तथा नोटिसो को तामीलशुदा बता दिया गया, जबकि दिनांक 16.08.2021 से 31.08.2021 तक श्रीमती मंजू अपने सुसराज ब्यावर निवास कर रही थी एवं प्रार्थी संख्या 01 दिनांक 16.08.2021 से 31.08.2021 के मध्य ग्राम जगपुरा ही निवास कर रहा था लेकिन कोई तामील कुनिन्दा गॉव में नहीं आया। जिससे स्पष्ट सिद्ध है कि तामील कुनिन्दा को वश में करके कूटरचित तामील दर्शायी गयी है। इस प्रकार प्रार्थीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं यिका जाना स्पष्ट होने के बावजदू अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण कानूनी विन्दू को नजरअदांज कर आदेश अन्तर्गत अपील पारित किया गया को काविज दुरूस्त योग्य है। यदि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.09.2022 को वर्तमान में रेसपोडेन्ट संख्या 01, 02 के आवेदन पत्र आदेश 09 नियम 14 जा.दी. में अपीलार्थी को बिना सुनवाई के निर्णय पारित किया गया कि मौके व रेकार्ड की यथास्थिति वनाये रखने की आड़ में अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.05.2022 रास्ता देने का निर्णय स्थगित हो गया है तथा किसी प्रकार का अपीलांट की कार्यपवाही नहीं की जा रही है। जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02/अप्रार्थी द्वारा किये जा रहे उपरोक्त कृत्यों से प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित हो रही	

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,

भगवान बनाम घनश्याम व अन्य ।

किस्म मुकदमा–225 राज0काश्त0अधिनियम
प्रकरण संख्या 303/2022 (नसीराबाद)

है तथा विवादित आदेश को निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.09.2022 को स्थगित किये जाने आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी. पेश किया गया, उक्त प्रार्थना पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा मूल पत्रावली तलब की जाकर प्रार्थी को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना जाकर, उनके कथनो के पर विश्वास करते हुए मौके पर वाद बाहुल्यता रोकने से अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया जाकर राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे कोई आपत्ति हो तो आगामी तारीख पेशी पर पेश करें के आदेश दिनांक 21.09.22 को पारित किये गये है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। प्रार्थी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना जवाब प्रस्तुत नहीं कर, यह अपील प्रस्तुत की है, जबकि उनको जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 जा.दी. का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को करना ही हैं किन्तु न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नसीराबाद को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 जाप्ता दीवानी को पक्षकारान को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है वे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 जाप्ता दीवानी पक्षकारान को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसद देते हुए, प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण आवश्यक रूप से करें। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
नसीराबाद